NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 31-07-2025

विषय सूची

» लोकसभा द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि को मंजूरी
» राज्य DGP की नियुक्ति के लिए एकल विंडो प्रणाली
» अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 25% टैरिफ
» चिली का तटीय क्षरण
» भारत द्वारा निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित
» दुर्लभ मृदा/रेयर अर्थ खनिजों पर चीन के प्रतिबंध से भारत अन्य विकल्पों की खोज में

संक्षिप्त समाचार

» पिपराहवा बुद्ध के अवशेष
» रातड़िया री ढेरी
» क्रोनिक ट्रॉमेटिक एन्सेफैलोपैथी
» संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति
» संयुक्त राष्ट्र महिला
» IEPFA द्वारा "सक्षम निवेशक" लॉन्च
» भारत का कौशल प्रभाव बांड
» डिजिटल भुगतान सूचकांक
» आपूर्ति और उपयोग तालिकाएँ (SUTs)

लोकसभा द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि को मंजूरी

समाचार में

- लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से आगामी छह माह तक वृद्धि करने के लिए वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

- मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया, लगभग दो वर्ष पश्चात जब राज्य में घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति कूकी-जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ था।
- यह संघर्ष मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा मांगने से उत्पन्न हुआ था, जिसका कूकी समुदाय ने विरोध किया, उन्हें आशंका थी कि इससे रोजगार के अवसर और एसटी के लिए आरक्षित अन्य सकारात्मक लाभों में कमी आएगी।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय संविधान के भाग XVIII में आपातकालीन प्रावधान हैं, जो जर्मन संविधान से प्रेरित हैं। ये भारत की संप्रभुता, एकता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले संकटों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं। तीन प्रकार की आपात स्थितियाँ होती हैं:
- राष्ट्रीय (अनुच्छेद 352)
- राज्य (अनुच्छेद 356)
- वित्तीय (अनुच्छेद 360)

राष्ट्रपति शासन

- यह एक राज्य आपातकाल है जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, हालांकि संविधान में 'राष्ट्रपति शासन' शब्द का उल्लेख नहीं है।
- यह अनुच्छेद 356 के तहत घोषित किया गया है, जो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र की यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें।
- अनुच्छेद 356(1) के अनुसार, यदि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य माध्यमों से, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
  - इससे राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ केंद्र को और विधायी शक्तियाँ संसद को स्थानांतरित हो जाती हैं। उच्च न्यायालय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र की दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल भी घोषित कर सकते हैं।

शर्तें

- इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के अंदर मंजूरी मिलनी चाहिए।
- हर छह माह की मंजूरी के आधार पर इसे जारी रखा जा सकता है।
- एक वर्ष से अधिक के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आपातकाल का लागू होना और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में कठिनाई की पुष्टि आवश्यक है।
  - कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन तीन वर्ष से अधिक नहीं चल सकता और कभी भी वापस लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय और संवैधानिक आपातकाल में अंतर

- संवैधानिक आपातकाल (अनुच्छेद 356) और राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) उद्देश्य, दायरे और प्रक्रिया में भिन्न होते हैं।
- राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारत की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से ख़तरे में पड़ जाती है।
  - यह पूरे देश या उसके किसी हिस्से को प्रभावित करता है और इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
  - इसकी कोई समय सीमा नहीं होती और राज्य सरकारें कार्य करती रहती हैं।
  - 44वें संशोधन (1978) ने मंत्रिमंडल की मंज़ूरी, न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षण सहित सुरक्षा उपाय पेश किए।

- संवैधानिक आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन, तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल हो जाती है।
  - इसके लिए संसद में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यह तीन साल तक चल सकता है और राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग करते हुए कार्यकारी शक्तियों को केंद्र में स्थानांतरित कर देता है।

प्रभाव

- राष्ट्रपति शासन के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होते।
  - राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्थगित किए जा सकते हैं, अन्य अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) पर भी सीमाएँ लग सकती हैं।
- राष्ट्रपति विशेष शक्तियाँ ग्रहण करते हैं, राज्यपाल उनकी ओर से राज्य का प्रशासन चलाते हैं, जिन्हें मुख्य सचिव या नियुक्त सलाहकारों द्वारा सहायता मिलती है।
- अनुच्छेद 357 संसद को विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकरण को सौंपने की अनुमति देता है और राष्ट्रपति को राज्य के समेकित निधि से व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार देता है।

राष्ट्रपति शासन के प्रयोग

- डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने आशा की थी कि यह एक "मृत प्रावधान" रहेगा, लेकिन 1950 से अब तक इसे 134 से अधिक बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है।
- सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। यह संकट प्रबंधन और राजनीतिक रणनीति दोनों के रूप में उपयोग हुआ है।
- मणिपुर और उत्तर प्रदेश में इसे 10-10 बार लागू किया गया है, और मणिपुर में अब यह 11वीं बार हो गया है।
- जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक रहा है (12 वर्षों से अधिक), इसके बाद पंजाब (10 वर्षों से अधिक) और पुडुचेरी (7 वर्षों से अधिक)।

न्यायिक व्याख्या

- सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की व्याख्या को पुनः परिभाषित किया।

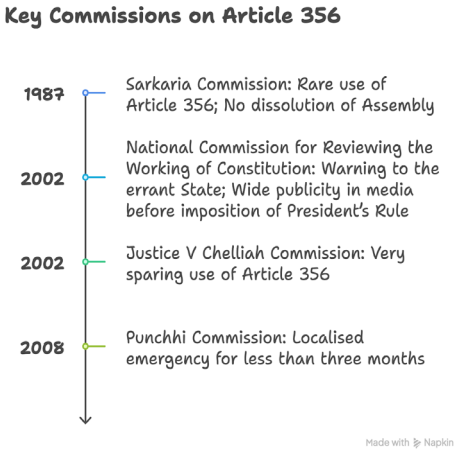

  - न्यायालय ने कहा कि भारत का संघीय ढांचा केंद्र को प्राथमिकता देता है लेकिन राज्यों को केवल उसकी शाखा नहीं माना जा सकता।
  - राष्ट्रपति शासन केवल संवैधानिक विफलता की स्थिति में ही अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का अधिकार पूर्ण नहीं है, यह शर्तों से बंधा है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- एक बार लागू होने पर राज्य सरकार को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि दो सरकारें एक साथ नहीं चल सकतीं।

Source: TH

राज्य DGP की नियुक्ति के लिए एकल विंडो प्रणाली

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस प्रमुख/पुलिस बल के प्रमुख की नियुक्ति के लिए एकल विंडो प्रणाली अधिसूचित की है।

परिचय

- यह नई नीति 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य उन राज्यों की जवाबदेही तय करना है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले (2006) में दिए गए

आदेशों और गृह मंत्रालय की डीजीपी/पुलिस बल प्रमुख नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

- **उद्देश्य**
  - राज्यों द्वारा डीजीपी की पैनलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मानकीकृत बनाना।
- **मुख्य विशेषताएँ**
  - राज्य प्रस्तावों के लिए विस्तृत चेकलिस्ट और मानकीकृत प्रारूप।
  - यूपीएससी द्वारा त्वरित एवं सुगम पैनलिंग सुनिश्चित करना।
  - एक सचिव स्तर का अधिकारी प्रस्तावित DGP अधिकारियों की पात्रता और न्यूनतम कार्यकाल का प्रमाणन करेगा।
  - यूपीएससी पैनलिंग समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, राज्य का मुख्य सचिव, संबंधित राज्य के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों/अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों में से एक अधिकारी शामिल होगा।
- **पात्रता शर्तें (सर्वोच्च न्यायालय और गृह मंत्रालय के अनुसार)**
  - अधिकारी के पास रिक्ति की तिथि से कम-से-कम छह माह की सेवा शेष होनी चाहिए।
  - प्रस्ताव कम-से-कम तीन महीने पहले यूपीएससी को भेजे जाने चाहिए।

राज्य पुलिस पर नियंत्रण

- पुलिस संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय है, अतः राज्य सरकारों को ही अपने पुलिस बलों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है।
- जिलों में जिला मजिस्ट्रेट (DM) एसपी को निर्देश दे सकते हैं और पुलिस प्रशासन की निगरानी कर सकते हैं।
  - इसे 'द्वैध नियंत्रण प्रणाली' कहते हैं क्योंकि DM और SP दोनों में अधिकार विभाजित होते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में यह प्रणाली 'कमिश्नरेट प्रणाली' से प्रतिस्थापित कर दी गई है ताकि कानून-व्यवस्था की जटिल स्थितियों में त्वरित निर्णय लिया जा सके।

राज्य पुलिस की पदानुक्रम

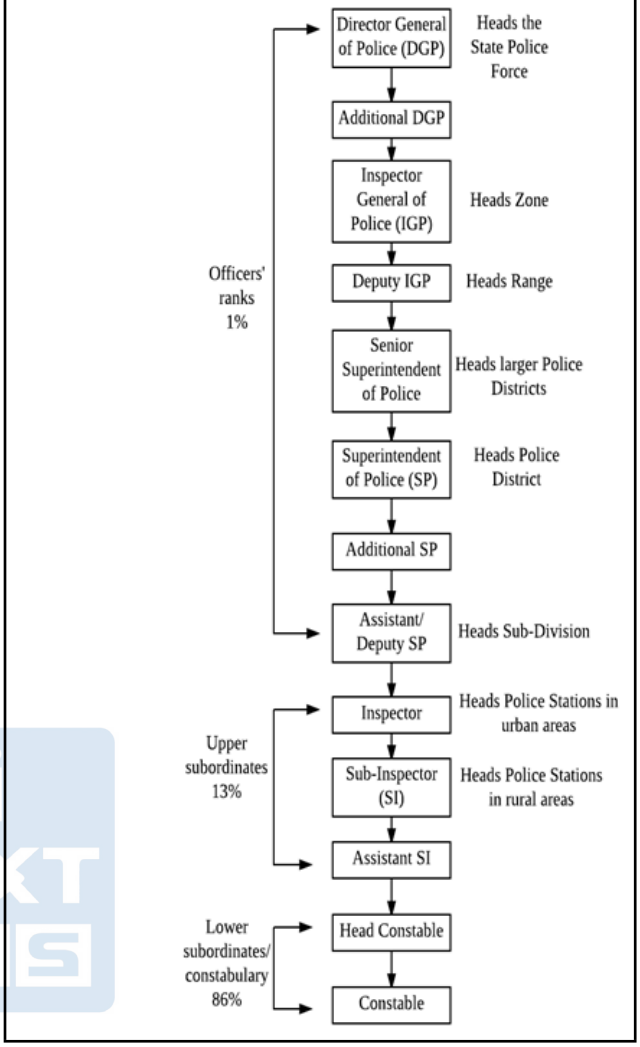

भर्ती प्रक्रिया

- कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी की सीधी भर्ती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
- IPS अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वे सहायक एसपी के रूप में सेवा आरंभ करते हैं।
- अन्य पदों पर रिक्तियाँ पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं।

पुलिस सुधारों की जांच करने वाले विशेषज्ञ निकाय

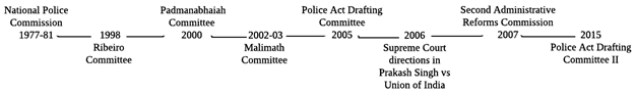

प्रकाश सिंह निर्णय - 2006

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लागू करने का निर्देश दिया।

- इस आदेश में सरकारों को कई उपाय करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की चिंता किए बिना अपना कार्य कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार केंद्र और राज्यों को निर्देश:

- प्रत्येक राज्य में 'राज्य सुरक्षा आयोग' का गठन किया जाए जो पुलिस कार्य के लिए नीति तय करे और प्रदर्शन मूल्यांकन करे।
- 'पुलिस स्थापना बोर्ड' का गठन हो, जो DSP से नीचे के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति पर निर्णय ले तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में सिफारिश करे।
- राज्य और जिला स्तर पर 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' की स्थापना हो जो पुलिसकर्मियों की गंभीर दुर्व्यवहार एवं शक्ति के दुरुपयोग की जांच करे।
- डीजीपी और अन्य महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों को कम-से-कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए ताकि मनमाने स्थानांतरण एवं नियुक्तियों से बचा जा सके।
- राज्य का डीजीपी तीन वरिष्ठतम अधिकारी जिनकी UPSC द्वारा सेवा अवधि, रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर पैनलिंग की गई है—उनमें से चुना जाए।
- 'जांच पुलिस' को 'कानून और व्यवस्था पुलिस' से अलग किया जाए ताकि विशेषज्ञता एवं जनता से संवाद बेहतर हो सके।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग' का गठन हो।

सुधारों की आवश्यकता

- **औपनिवेशिक ढांचा**: आज भी पुलिस अधिनियम 1861 लागू है, जो अंग्रेजों के शासन हेतु बनाया गया था, लोकतांत्रिक शासन हेतु नहीं।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप**: राजनीतिक दबाव के कारण निष्पक्ष कानून व्यवस्था बाधित होती है।
- **हिरासत में मृत्यु**: पुलिस या न्यायिक हिरासत में यातना के कारण मृत्यु के अनेक मामले सामने आते हैं।
  - D.K. बसु निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**: प्रशिक्षण में नैतिकता, संवाद और सॉफ्ट स्किल पर बल नहीं दिया जाता।
- **प्रतिक्रियाओं में देरी**: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और विशेषज्ञ अनुशंसाओं को लागू करने में अभी भी काफी देरी है।

निष्कर्ष

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने पुलिस सुधार को अच्छे शासन और कानून के राज की बुनियाद बताया था।
- हालांकि कुछ राज्यों ने सुधारात्मक उपाय अपनाए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन असमान और अधूरा है।
- सर्वोच्च न्यायालय की 2006 की प्रकाश सिंह निर्देशों का पूर्ण अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है।

Source: TH

अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 25% टैरिफ

संदर्भ

- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि भारत से होने वाले सभी आयातों पर 25% टैरिफ (शुल्क) लगाया जाएगा, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ भारत द्वारा रूसी तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद जारी रखने पर एक अनिर्दिष्ट दंड भी लगाया जाएगा।

भारत के आयातों पर अमेरिका ने 25% टैरिफ क्यों लगाया?

- **अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के ऊँचे टैरिफ**: अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क विश्व में सबसे अधिक हैं। अमेरिका को भारत के साथ लगभग $40.8 बिलियन का व्यापार घाटा है।
- **भारत की गैर-आर्थिक व्यापार बाधाएं**: अमेरिका का आरोप है कि भारत ऊँचे टैरिफ और अन्य गैर-टैरिफ बाधाएं बनाए रखता है, विशेष रूप से भारत

की कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सैनिटरी व फाइटोसेनिटरी (SPS) उपायों का उदाहरण दिया गया है।

- **रूस से भारत के ऊर्जा व रक्षा संबंध**: भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक है (भारत के कुल तेल आयात का 35–40%) और मास्को के साथ भारत के रक्षा संबंध भी लंबे समय से हैं।
  - इस टैरिफ में लगाया गया दंडात्मक भाग इन्हीं खरीदों से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि इसका सही स्वरूप स्पष्ट नहीं है।
- **BRICS सदस्यता**: अमेरिका BRICS को एक "एंटी-डॉलर" गठबंधन मानता है, जो अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व को चुनौती देता है, और भारत इस समूह का भाग है।
- **द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) वार्ता की विफलता**: जवाबी टैरिफ से बचने के लिए एक "मिनी-डील" अगस्त 2025 की समयसीमा से पहले अंतिम रूप नहीं ले सकी, जबकि वार्ता फरवरी 2025 से चल रही थी। इसे वार्ता को तीव्र करने के लिए एक दबाव तकनीक के रूप में देखा जा रहा है।

भारत से आयात पर 25% अमेरिकी टैरिफ के प्रमुख प्रभाव

- **भारतीय निर्यातों पर आर्थिक प्रभाव**: यह टैरिफ वार्षिक $129 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करता है, जिसमें वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात $86.5 बिलियन रहा।

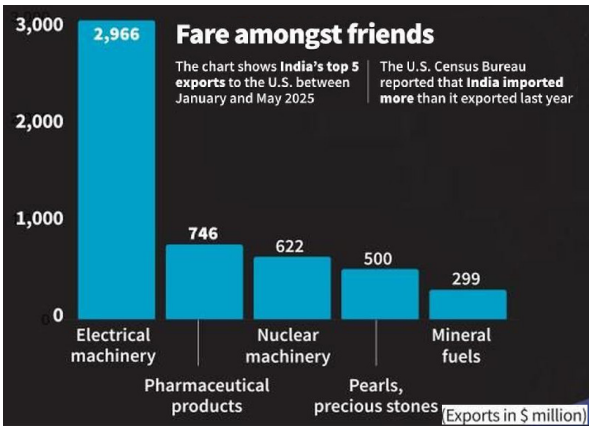

- **अधिक जोखिम वाले क्षेत्र**:
  - फार्मास्युटिकल्स: भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
  - ऑटो पार्ट्स व इंजीनियरिंग वस्तुएं: वर्ष 2024 में $2.2 बिलियन मूल्य के ऑटो घटकों का निर्यात अब पूर्ण टैरिफ के दायरे में आ गया है।
  - कपड़ा, रत्न व आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री खाद्य: ये निर्यात-प्रधान क्षेत्र अपनी मूल्य प्रतिस्पर्धा खो सकते हैं।
- **MSME और श्रम-प्रधान उद्योगों पर दबाव**: यह टैरिफ छोटे उत्पादकों और निर्यातकों पर असमान प्रभाव डाल सकता है, खासकर परिधान, चमड़ा एवं हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में।
- **उद्योग संस्थाओं की चेतावनी**: FICCI जैसे संस्थानों ने भारत के निर्यात-प्रधान क्षेत्रों में तत्काल संकट की चेतावनी दी है।
- **भूराजनीतिक संकेत**: टैरिफ का दंडात्मक भाग भारत के रूस के साथ ऊर्जा व रक्षा संबंधों से जुड़ा है, जिससे यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मामला बन गया है।
  - भारत की विदेश नीति में "रणनीतिक स्वायत्तता" विशेषकर रूस को लेकर, अब नए सिरे से जांच के दायरे में आ सकती है।
- **बाजार अस्थिरता व निवेशक भावना**: इस घोषणा के पश्चात भारतीय शेयर सूचकांक जैसे सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखी गई।
  - विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी मांग पर निर्भर क्षेत्रों में अल्पकालिक अस्थिरता संभव है।

भारत की प्रतिक्रिया रणनीति और विकल्प

- **तात्कालिक प्रतिक्रिया**: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वह इस टैरिफ के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है और निष्पक्ष व पारस्परिक रूप से लाभदायक व्यापार समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है।
  - भारत ने किसानों, MSMEs और उद्यमियों की रक्षा को प्राथमिकता दी है और यह संकेत दिया है कि घरेलू हितों से कोई समझौता नहीं होगा।
- **चल रही व्यापार वार्ता**: भारत और अमेरिका फरवरी 2025 से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहे हैं।

- अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल छठे दौर की वार्ता के लिए 25 अगस्त को भारत आने वाला है। भारत ने एक पूर्व-फसल समझौते को अंतिम रूप दिया था, लेकिन अमेरिका ने 1 अगस्त की समयसीमा से पहले उस पर हस्ताक्षर नहीं किए।

- **विचाराधीन रणनीतिक विकल्प**:
  - बाजार विविधीकरण: अमेरिकी बाजार पर निर्भरता घटाकर यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में निर्यात बढ़ाना।
  - मित्र देशों से सहयोग: जापान और यूरोपीय संघ जैसे उन देशों से संबंध सुदृढ़ करना जिन्होंने अमेरिका के साथ पहले ही लाभप्रद टैरिफ समझौते किए हैं।
  - घरेलू स्थायित्व: "मेक इन इंडिया" जैसे अभियानों को बढ़ावा देना ताकि बाहरी आघात को समाहित किया जा सके।
  - प्रभावित क्षेत्रों के लिए समर्थन पैकेज: दवाइयों, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और समुद्री खाद्य जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना।

Source: TH

चिली का तटीय क्षरण

समाचार में

- चिली के मध्य एवं दक्षिणी तटों पर तेजी से क्षरण हो रहा है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दशक में कम से कम 10 समुद्र तट पूरी तरह गायब हो सकते हैं।

मुख्य कारण

- **जलवायु परिवर्तन**: समुद्री लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है, जिससे समुद्र तट पहले की तुलना में तीव्रता से क्षरण हो रहा हैं।

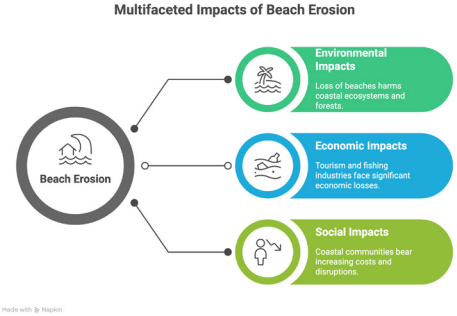

- **समुद्र स्तर में वृद्धि, अचानक वर्षा और बार-बार पड़ने वाली हीटवेव** तटीय क्षरण मे तीव्रता से वृद्धि कर रहे हैं।

- **मानवजनित कारक**: अनियंत्रित शहरीकरण और तटीय निर्माण गतिविधियाँ प्राकृतिक अवरोधों जैसे कि रेत के टीले एवं आर्द्रभूमि को नष्ट कर रही हैं, जिससे समुद्र तट अधिक संवेदनशील हो गए हैं।

चिली के बारे में

- **स्थान** चिली विश्व का सबसे दक्षिणी देश है, और अंटार्कटिका के सबसे करीब स्थित है। यह देश एंडीज़ पर्वत के पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिम में फैले एक लंबे, संकरे भूखंड पर स्थित है।
- **सीमाएँ** चिली की सीमाएँ उत्तर में पेरू, उत्तर-पूर्व में बोलिविया, पूर्व में अर्जेंटीना और अत्यंत दक्षिण में ड्रेक जलडमरूमध्य से मिलती हैं।
- **जलवायु और स्थलाकृति** चिली की जलवायु बेहद विविध है:
  - उत्तर में विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र एटाकामा रेगिस्तान,
  - मध्य भाग में भूमध्यसागरीय जलवायु,
  - ईस्टर द्वीप पर नम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु,
  - पूर्व और दक्षिण में महासागरीय जलवायु जिसमें एल्पाइन टुंड्रा और हिमनद शामिल हैं।
  - चिली प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो एक अत्यधिक भूकंपी और ज्वालामुखीय क्षेत्र है। यह नाज़का और अंटार्कटिक प्लेटों के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसने के कारण सक्रिय है।
- **संसाधन**
  - कॉपर खनन चिली की GDP का 20% और कुल निर्यात का 60% है। चिली विश्व का लगभग एक-तिहाई तांबा उत्पादित करता है।

- एस्कोंडिडा विश्व की सबसे बड़ी कॉपर खदान है, जो वैश्विक आपूर्ति का 5% से अधिक उत्पन्न करती है।
- चिली लिथियम सहित अन्य खनिज संसाधनों में भी समृद्ध है

Source: DD News

भारत द्वारा निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित

संदर्भ

- NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया।

NISAR उपग्रह

- NISAR एक पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह है, जिसका पूर्ण नाम है नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार।
- इसे NASA (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) और ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) द्वारा वर्ष 2014 में हुए साझेदारी समझौते के अंतर्गत संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

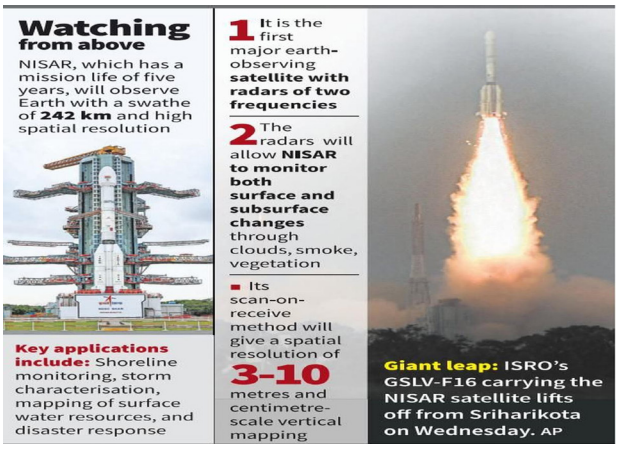

- इसे 747 किलोमीटर की ऊँचाई और 98.4° के झुकाव पर एक ध्रुवीय सूर्य-समान्य प्रातः-गोधूलि कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा।
- NISAR प्रथम ऐसा उपग्रह मिशन है जो दो माइक्रोवेव बैंडविथ क्षेत्र—L-बैंड और S-बैंड—में रडार डेटा संग्रह करता है।
  - S-बैंड पेलोड ISRO द्वारा और L-बैंड पेलोड अमेरिका द्वारा बनाया गया है।

पृथ्वी की सतह की निगरानी

- NISAR प्रणाली दोहरे आवृत्ति वाला, पूर्ण पोलरिमेट्रिक रडार है, जिसकी इमेजिंग चौड़ाई 150 मील (240 किमी) से अधिक है।
- यह डिज़ाइन हर 12 दिनों में वैश्विक कवरेज सुनिश्चित करता है, जिससे शोधकर्ता समयानुसार इंटरफेरोमेट्रिक इमेजरी बना सकते हैं और पृथ्वी की सतह में हो रहे बदलावों का सटीक मानचित्रण कर सकते हैं।
  - यह प्रणाली विभिन्न पहलुओं की उच्च रिज़ॉल्यूशन में निगरानी करने में सक्षम है।
- 90-दिनों की प्रारंभिक जांच अवधि के पश्चात, मिशन कम से कम तीन वर्षों तक L-बैंड रडार का उपयोग करके NASA की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
  - ISRO की योजना S-बैंड रडार के साथ पाँच वर्षों तक मिशन का संचालन करने की है।

Source: TH

दुर्लभ मृदा/रेयर अर्थ खनिजों पर चीन के प्रतिबंध से भारत अन्य विकल्पों की खोज में

संदर्भ

- चीन द्वारा अप्रैल 2025 से भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को स्थगित कर दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV), इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारी बाधा उत्पन्न हुई है। इससे भारत की चीनी आपूर्ति पर भारी निर्भरता उजागर हुई है।

रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या हैं?

- रेयर अर्थ मैग्नेट्स शक्तिशाली स्थायी मैग्नेट्स होते हैं, जो आवर्त सारणी के 17 दुर्लभ तत्वों से बनाए जाते हैं।
  - इनके दो प्रमुख प्रकार हैं: नीओडिमियम (Nd-Fe-B) और सैमारियम कोबाल्ट (SmCo) मैग्नेट।
- नाम के विपरीत, रेयर अर्थ तत्व भूवैज्ञानिक रूप से दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इन्हें निकालना कठिन होता है क्योंकि ये बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं और इनके खनन में पर्यावरणीय लागत अधिक होती है।

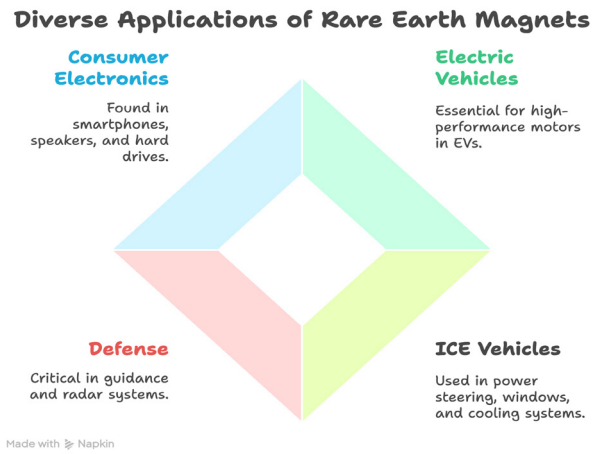

रेयर अर्थ मैग्नेट्स की उपलब्धता

- चीन वैश्विक रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन में 85% से अधिक हिस्सेदारी रखता है, और खनन से लेकर शुद्धिकरण और मैग्नेट निर्माण तक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभुत्व रखता है।
- भारत में रेयर अर्थ भंडार (विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु और ओडिशा की मोनाज़ाइट रेत में) होने के बावजूद भारत के पास नहीं हैं:
  - उन्नत परिशोधन क्षमताएं
  - मैग्नेट निर्माण की डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री
  - अनुसंधान एवं विकास तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी

भारत पर तात्कालिक प्रभाव

- **इलेक्ट्रिक वाहन**: बजाज ऑटो ने जुलाई 2025 में इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन आधा कर दिया और यदि संकट जारी रहा तो EV संयंत्र को बंद करने की संभावना व्यक्त की है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स**: ऐप्पल को तेलंगाना स्थित AirPods असेंबली लाइन को दो सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि मैग्नेट की कमी हो गई।
- **ऑटोमोबाइल उद्योग**: भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ (SIAM) ने सरकार से आग्रह किया है कि वह इलेक्ट्रिक मोटर पर आयात शुल्क को कम करे ताकि लागत में वृद्धि को कम किया जा सके।
- **लागत का दबाव**: मैग्नेट्स की अनुपलब्धता के कारण कंपनियों को पूरी तरह से असेंबल की गई इलेक्ट्रिक मोटर चीन से आयात करनी पड़ रही है, जिससे उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हो रही है।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के अंतर्गत ₹18,000 करोड़ की राशि 7 वर्षों (2024-25 से 2030-31) के लिए निर्धारित की है ताकि रणनीतिक खनिजों का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) 100 से अधिक रेयर अर्थ परियोजनाओं की खोज कर रहा है, हालांकि वाणिज्यिक खनन तीन वर्षों बाद ही शुरू हो सकता है।

आगे की राह

- **अल्पकालिक उपाय:** वर्तमान संकट को कम करने के लिए सरकार को पूर्णतः असेंबल की गई इलेक्ट्रिक मोटरों पर सीमा शुल्क को घटाना चाहिए ताकि EV सेक्टर की उत्पादन लागत पर नियंत्रण हो सके।
  - भारत को जापान, उज़्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वैकल्पिक आपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए।
- **मध्यम से दीर्घकालिक उपाय:** भारत को भविष्य की आपूर्ति बाधाओं से बचाव के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ तत्वों का रणनीतिक भंडार विकसित करना चाहिए।
  - भारत को जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संसाधन-संपन्न व उन्नत प्रसंस्करण तकनीक वाले देशों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त उपक्रम करने चाहिए।

Source: BS

संक्षिप्त समाचार

पिपराहवा बुद्ध के अवशेष

समाचार में

- पवित्र पिपरहवा बुद्ध अवशेषों के आभूषण, जो हाल ही में सॉदबीज़ हांगकांग में नीलाम किए गए थे, 127 वर्षों पश्चात् औपनिवेशिक शासन के दौरान लिए जाने के बाद भारत को वापस लौटा दिए गए हैं।

पिपरहवा अवशेष

- पिपरहवा अवशेषों की खोज 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लॉक्सटन पेप्पे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में की गई थी।

- इनमें हड्डी के टुकड़े, सोपस्टोन और क्रिस्टल के कलश, रेत पत्थर का संदूक एवं सोने के आभूषण एवं रत्नों जैसे भेंट शामिल हैं।
- इन्हें भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेषों से संबंधित माना जाता है।
- एक कलश पर ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ शिलालेख इन अवशेषों को शाक्य वंश द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों के रूप में पुष्टि करता है।
- ये अवशेष पिपरहवा स्तूप से प्राप्त हुए हैं, जिसे व्यापक रूप से प्राचीन कपिलवस्तु नगरी के रूप में पहचाना जाता है—भगवान बुद्ध का जन्मस्थल।

स्थिति

- इन अधिकांश अवशेषों को 1899 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया और इन्हें 'AA' पुरावशेष के रूप में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, जिसके तहत इनकी बिक्री या स्थानांतरण निषिद्ध है।
- हालांकि कुछ हड्डी के अवशेष सियाम के राजा को उपहार स्वरूप दिए गए थे, जबकि कुछ हिस्सा पेप्पे के वंशजों द्वारा अपने पास रखा गया।

Source: PIB

रातड़िया री ढेरी

संदर्भ

- जैसलमेर जिले के रातड़िया री ढेरी में एक हड़प्पा स्थल सामने आया है, जो इस क्षेत्र में सिंधु घाटी की प्रथम ज्ञात बस्ती का प्रतीक है।
- यह पाकिस्तान के सादेवाला से 17 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है, जहाँ प्रथम हड़प्पा के अवशेष मिले थे।
- यह खोज उत्तरी राजस्थान और गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक अन्तर को समाप्त करती है।
- अब तक, उत्तरी राजस्थान में पीलीबंगा राज्य का सबसे प्रमुख हड़प्पा स्थल था - जिसकी खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी और 1960 के दशक में इसकी खुदाई की गई थी।

हड़प्पा सभ्यता

- हड़प्पा सभ्यता को मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है।
- इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था और इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है।
- हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ तांबे आधारित मिश्र धातुओं से बनी कई वस्तुएँ मिली हैं।

प्रमुख हड़प्पा स्थल

स्थल	वर्तमान में
हड़प्पा	पंजाब, पाकिस्तान
मोहनजोदारो	सिंध, पाकिस्तान
धौलावीरा	गुजरात का कच्छ जिला,
कालीबंगा	**राजस्थान**
लोथल	गुजरात
राखीगढ़ी	**हरियाणा**
चन्हूदड़ो	सिंध, पाकिस्तान
गंवरीवाला	पंजाब, पाकिस्तान
सुत्कागेंडोर	बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान
आलमगीरपुर	उत्तर प्रदेश

Source: TOI

क्रोनिक ट्रॉमेटिक एन्सेफैलोपैथी

समाचार में

- न्यूयॉर्क में चार लोगों की हत्या करने वाला बंदूकधारी क्रॉनिक ट्रॉमैटिक एन्सेफैलोपैथी (सीटीई) से पीड़ित था।

क्रॉनिक ट्रॉमैटिक एन्सेफैलोपैथी (सीटीई)

- यह एक अपक्षयी मस्तिष्क रोग है जो बार-बार होने वाले मस्तिष्क आघात से जुड़ा है।

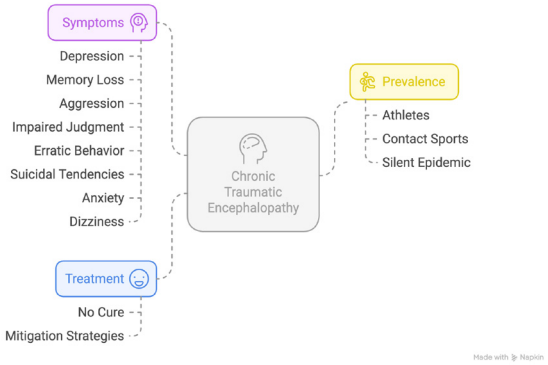

- इसे ऐतिहासिक रूप से हिप्पोक्रेट्स ने "कॉमोटियो सेरेब्री" के रूप में वर्णित किया था और बाद में जैकोपो बेरेंगारियो दा कार्पी ने इसे मस्तिष्क में चोट लगने के रूप में वर्णित किया था।
- इसका निदान आमतौर पर एथलीटों, विशेष रूप से संपर्क खेलों में शामिल एथलीटों में होता है, और हाल के वर्षों में इसे "मूक महामारी" के रूप में संदर्भित किया गया है।

Source: IE

संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की रिपोर्ट में द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को हाल ही में शामिल किया जाना, सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत के वैश्विक अभियान में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है।
- जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का उदय हुआ।
- रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के लिए TRF को स्पष्ट रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

1267 प्रतिबंध समिति

- इसे ISIS और अल-कायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1999 में UNSC के एक प्रस्ताव के अंतर्गत ISIS, अल-कायदा और संबंधित समूहों से जुड़े आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी।
- सदस्य देश किसी भी समय समिति को व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं को शामिल करने के लिए सूची अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
- समिति में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल हैं और यह सर्वसम्मति से अपना निर्णय लेती है।
- प्रतिबंधात्मक उपायों में शामिल हैं:
  - **संपत्ति ज़ब्त:** नामित व्यक्तियों/संस्थाओं की सभी संपत्तियाँ ज़ब्त कर ली जाती हैं।
  - **यात्रा प्रतिबंध:** सूचीबद्ध व्यक्तियों को किसी भी सदस्य राज्य में प्रवेश करने या वहाँ से होकर गुजरने पर प्रतिबंध है।
  - **शस्त्र प्रतिबंध:** हथियारों या संबंधित सामग्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध।

Source: TH

संयुक्त राष्ट्र महिला

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र महिला इस वर्ष अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रही है।

संयुक्त राष्ट्र महिला के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र महिला, लैंगिक समानता और वैश्विक स्तर पर महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की संस्था है।

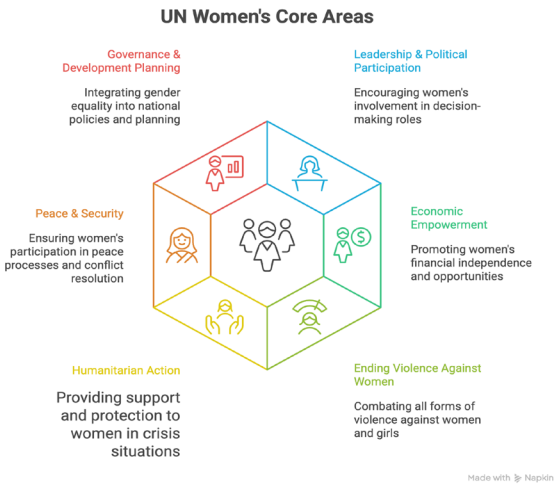

- जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित और जनवरी 2011 से कार्यरत।
- संयुक्त राष्ट्र महिला, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CSW) के सचिवालय के रूप में कार्य करती है।
- संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड:
  - इसमें 41 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
  - भौगोलिक संतुलन और वैश्विक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों का चुनाव ECOSOC द्वारा तीन-वर्षीय कार्यकाल के लिए बारी-बारी से किया जाता है।

Source: TH

IEPFA द्वारा "सक्षम निवेशक" लॉन्च

समाचार में

- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने 100-दिवसीय अभियान "सक्षम निवेशक" शुरू किया है, जो 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चलेगा।

"सक्षम निवेशक" अभियान

- यह एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसका उद्देश्य शेयरधारकों को सशक्त बनाना है, ताकि वे कंपनियों के पास रखे बिना दावा किए गए लाभांश के बारे में जागरूक हो सकें और अपना KYC तथा नामांकन विवरण अपडेट कर अपने वैध लाभांश वापस प्राप्त कर सकें।
- यह कंपनियों को प्रोत्साहित करता है कि वे स्वयं पहल कर अपने शेयरधारकों से संपर्क करें, ताकि वे बिना दावा किए लाभांश को पुनः प्राप्त कर सकें और नियमित लाभांश प्राप्त करना पुनः शुरू हो सके।
  - समय पर कार्रवाई करने से शेयरधारकों के लाभांश और उससे जुड़े शेयर IEPFA को हस्तांतरित होने से बचाए जा सकते हैं।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)

- भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत IEPFA की स्थापना 2016 में की थी, जिसका उद्देश्य निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि का प्रबंधन करना है।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- IEPFA का लक्ष्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना तथा बिना दावा किए गए लाभांश और शेयरों की रक्षा करना है।
  - निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत और निवेशक शिविर जैसी पहलों के माध्यम से IEPFA देश भर में वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त निवेशक वर्ग का निर्माण करने का प्रयास करता है।

Source :PIB

भारत का कौशल प्रभाव बांड

संदर्भ

- भारत का स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड (SIB), जो 2021 में लॉन्च किया गया था, देश का प्रथम विकास प्रभाव बॉन्ड है जो रोजगार पर केंद्रित है।

परिचय

- यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से समर्थित है और सरकारी व निजी क्षेत्र के भागीदारों को एक साथ लाता है।
- **उद्देश्य**: कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले 50,000 युवाओं को रोजगार-योग्य कौशल और रोजगार प्रदान करना।
- **पात्रता**: प्रत्येक उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, बेरोजगार हो या ₹15,000 प्रति माह से कम कमा रहा हो (या परिवार की कुल आय ₹25,000 से कम हो), और शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे कम हो।
  - 62% प्रतिभागियों को महिलाओं के रूप में लक्षित किया गया है, ताकि रोजगार में लंबे समय से वर्तमान लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके।
- **परिणाम आधारित वित्तपोषण**
- SIB एक बड़ा परिवर्तन दर्शाता है जिसमें इनपुट आधारित फंडिंग से परिणाम आधारित वित्तपोषण की ओर दृष्टिकोण किया गया है।
  - यह केवल नामांकन की संख्या से सफलता नहीं मापता, बल्कि प्रमाणीकरण, नौकरी में नियुक्ति, और तीन महीने तक रोजगार में बने रहने जैसे परिणामों को पुरस्कृत करता है।

Source: IE

डिजिटल भुगतान सूचकांक

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि उसका डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) मार्च 2025 में बढ़कर 493.22 हो जाएगा, जो सितंबर 2024 में 465.33 था।

- यह नवीनतम वृद्धि मुख्य रूप से भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारकों - और भुगतान प्रदर्शन में सुधार के कारण हुई है।

RBI-DPI के बारे में

- RBI-DPI को 2021 में प्रस्तुत किया गया था, यह सूचकांक अर्ध-वार्षिक रूप से प्रकाशित होता है और मार्च 2018 को आधार अवधि (सूचकांक = 100) के रूप में मानता है।
- देश भर में भुगतान में डिजिटलीकरण की सीमा पर नज़र रखने के लिए।
- यह निरंतर ऊपर की ओर प्रवृति भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों को तेज़ी से अपनाने को दर्शाता है।

Source: PIB

आपूर्ति और उपयोग तालिकाएँ (SUTs)

समाचार में

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने '2020-21 और 2021-22 की आपूर्ति एवं उपयोग सारणी' जारी की है।

आपूर्ति एवं उपयोग सारणी (SUT) के बारे में

- आपूर्ति एवं उपयोग सारणी (SUT) राष्ट्रीय लेखांकन के लिए एक आधारभूत उपकरण है, जो एक व्यापक और विस्तृत सांख्यिकीय ढाँचा प्रदान करता है जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मापन को इसके तीन मुख्य दृष्टिकोणों - उत्पादन, आय एवं व्यय - के माध्यम से एकीकृत करता है।
- आपूर्ति एवं उपयोग सारणी (SUT) को दो परस्पर जुड़े हुए मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है: आपूर्ति सारणी और उपयोग सारणी, जो उत्पाद-दर-उद्योग मैट्रिक्स में संरचित हैं।
  - आपूर्ति सारणी, उद्योग द्वारा घरेलू उत्पादन और आयात दोनों से वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल आपूर्ति को दर्शाती है।
  - इसके विपरीत, उपयोग सारणी, विभिन्न घटकों - उद्योगों द्वारा मध्यवर्ती उपभोग, अंतिम उपभोग, सकल पूंजी निर्माण और निर्यात - में इन उत्पादों के उपयोग को दर्ज करती है।

Source: PIB